सीजी.डी.एल.-अ.-18082022-238160
CG-DL-E-18082022-238160

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3668] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 2022/श्रावण 25, 1944
No. 3668] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2022/SHRAVANA 25, 1944

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

REGD. No. D. L.-33004/99

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2022

का. आ. 3841(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश के **पुँछ** जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या **144ए** के कि.मी. **162+800** से **198+250** कि.मी. तक **(अखनूर से पुँछ रोड़) (सेक्शन-8)** का निर्माण (पैकेजकरण/दो लेन का बनाने सहित), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डिप्टी कमिश्नर भूमि अधिग्रहण अधिकारी- **पुँछ**, आफिस-**पुँछ**, जिला- **पुँछ** को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनअनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और इस अधिसूचना के अनुबंध आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उस कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

5515 GI/2022

अनुसूची

जम्मू एण्ड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिले **पुँछ** में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या **144ए** के कि.मी. **162+800** से **198+250** कि.मी. **(अखनूर से पुँछ रोड़) (सेक्शन-8)** के लिए भू अन्तर अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: पुँछ		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: हवेली					
गांव का नाम: नवाली					
1	155	सरकारी	सिंचित	0.0175000(हेक्टेयर)	0.0175000
2	155min/1	सरकारी(लाभार्थी)	सिंचित	0.0611000(हेक्टेयर)	0.0611000
3	155min/1	सरकारी(लाभार्थी)	सिंचित	0.0475000(हेक्टेयर)	0.0475000
4	155min/2	निजी	सिंचित	0.0550000(हेक्टेयर)	0.0550000
5	155min/2	निजी	सिंचित	0.0325000(हेक्टेयर)	0.0325000
6	156	सरकारी	असिंचित	0.1375000(हेक्टेयर)	0.1375000
7	157	निजी	सिंचित	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
8	158	सरकारी	सिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
9	177	निजी	सिंचित	0.0550000(हेक्टेयर)	0.0550000
10	178min	निजी	सिंचित	0.0717000(हेक्टेयर)	0.0717000
11	178min	निजी	सिंचित	0.0239000(हेक्टेयर)	0.0239000
12	179	सरकारी(लाभार्थी)	सिंचित	0.0131000(हेक्टेयर)	0.0131000
13	180	निजी	असिंचित	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
14	181	सरकारी	सिंचित	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
15	182	निजी	सिंचित	0.0481000(हेक्टेयर)	0.0481000
16	183/1	निजी	सिंचित	0.0753000(हेक्टेयर)	0.0753000
17	183min	निजी	सिंचित	0.0650000(हेक्टेयर)	0.0650000
18	183min	निजी	सिंचित	0.0389000(हेक्टेयर)	0.0389000
19	468min	निजी	सिंचित	0.2083000(हेक्टेयर)	0.2083000
20	468min	सरकारी	असिंचित	1.1717000(हेक्टेयर)	1.1717000
21	612/468	निजी	सिंचित	0.0975000(हेक्टेयर)	0.0975000
गांव का नाम: चनाक					
1	1075	निजी	सिंचित	0.0378000(हेक्टेयर)	0.0378000
2	1076	निजी	सिंचित	0.0550000(हेक्टेयर)	0.0550000
3	1077	निजी	सिंचित	0.1353000(हेक्टेयर)	0.1353000
4	1078	निजी	सिंचित	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
5	1079	निजी	सिंचित	0.1242000(हेक्टेयर)	0.1242000
6	1080	निजी	सिंचित	0.0144000(हेक्टेयर)	0.0144000
7	1081	निजी	सिंचित	0.0231000(हेक्टेयर)	0.0231000
8	1086	निजी	रास्ता	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
9	1087	निजी	सिंचित	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000
10	1088	निजी	सिंचित	0.2361000(हेक्टेयर)	0.2361000
11	1095	निजी	सिंचित	0.1314000(हेक्टेयर)	0.1314000
12	1097	निजी	सिंचित	0.1464000(हेक्टेयर)	0.1464000
13	1098	निजी	सिंचित	0.1786000(हेक्टेयर)	0.1786000
14	1101	निजी	सिंचित	0.1161000(हेक्टेयर)	0.1161000
15	1117	निजी	सिंचित	0.1453000(हेक्टेयर)	0.1453000
16	1119	निजी	सिंचित	0.0414000(हेक्टेयर)	0.0414000
17	1120min	निजी	सिंचित	0.0872000(हेक्टेयर)	0.0872000
18	1123	निजी	सिंचित	0.0117000(हेक्टेयर)	0.0117000
19	1124	निजी	सिंचित	0.0528000(हेक्टेयर)	0.0528000
20	1125	निजी	सिंचित	0.0411000(हेक्टेयर)	0.0411000
21	1126	निजी	सिंचित	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
22	1127	निजी	सिंचित	0.0525000(हेक्टेयर)	0.0525000
23	1128	निजी	सिंचित	0.0103000(हेक्टेयर)	0.0103000
24	1129	निजी	सिंचित	0.0872000(हेक्टेयर)	0.0872000
25	1130	निजी	असिंचित	0.0208000(हेक्टेयर)	0.0208000
26	1130min	निजी	असिंचित	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
27	1219min	निजी	असिंचित	0.0097000(हेक्टेयर)	0.0097000
28	1220	निजी	नहर	0.0375000(हेक्टेयर)	0.0375000
29	1221	निजी	सिंचित	0.0078000(हेक्टेयर)	0.0078000
30	1222	निजी	सिंचित	0.2500000(हेक्टेयर)	0.2500000
31	1225/1	निजी	असिंचित	0.0958000(हेक्टेयर)	0.0958000
32	1418/203	निजी	सिंचित	0.0111000(हेक्टेयर)	0.0111000
33	1441/57	निजी	सिंचित	0.1222000(हेक्टेयर)	0.1222000
34	1448/1117	निजी	सिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
35	1456/57	निजी	सिंचित	0.1125000(हेक्टेयर)	0.1125000
36	1457/57	निजी	सिंचित	0.0781000(हेक्टेयर)	0.0781000
37	146	निजी	सिंचित	0.0772000(हेक्टेयर)	0.0772000
38	1470/203	निजी	सिंचित	0.0325000(हेक्टेयर)	0.0325000
39	1471/204	निजी	सिंचित	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
40	1472/204	निजी	सिंचित	0.0275000(हेक्टेयर)	0.0275000
41	1500/57	निजी	सिंचित	0.0125000(हेक्टेयर)	0.0125000
42	163	निजी	सिंचित	0.0425000(हेक्टेयर)	0.0425000
43	164	निजी	सिंचित	0.0083000(हेक्टेयर)	0.0083000
44	164min	निजी	सिंचित	0.0475000(हेक्टेयर)	0.0475000
45	167	निजी	सिंचित	0.0750000(हेक्टेयर)	0.0750000
46	168	निजी	सिंचित	0.0389000(हेक्टेयर)	0.0389000
47	172	निजी	सिंचित	0.1461000(हेक्टेयर)	0.1461000
48	196	निजी	सिंचित	0.1322000(हेक्टेयर)	0.1322000
49	197	निजी	सिंचित	0.0225000(हेक्टेयर)	0.0225000
50	200	निजी	सिंचित	0.1286000(हेक्टेयर)	0.1286000
51	201	निजी	सिंचित	0.0236000(हेक्टेयर)	0.0236000
52	202	निजी	सिंचित	0.0675000(हेक्टेयर)	0.0675000
53	205	निजी	सिंचित	0.0089000(हेक्टेयर)	0.0089000
54	206	निजी	सिंचित	0.0164000(हेक्टेयर)	0.0164000
55	207	निजी	सिंचित	0.0436000(हेक्टेयर)	0.0436000
56	216	निजी	नहर	0.0006000(हेक्टेयर)	0.0006000
57	217	निजी	सिंचित	0.0067000(हेक्टेयर)	0.0067000
58	219	निजी	सिंचित	0.0850000(हेक्टेयर)	0.0850000
59	220	निजी	सिंचित	0.0475000(हेक्टेयर)	0.0475000
60	221	निजी	सिंचित	0.0850000(हेक्टेयर)	0.0850000
61	52	निजी	नहर	0.0103000(हेक्टेयर)	0.0103000
62	58	निजी	सिंचित	0.0111000(हेक्टेयर)	0.0111000
63	58min	निजी	सिंचित	0.0483000(हेक्टेयर)	0.0483000
64	59	निजी	सिंचित	0.1008000(हेक्टेयर)	0.1008000
65	59min	निजी	सिंचित	0.0250000(हेक्टेयर)	0.0250000
66	709	निजी	सिंचित	0.0850000(हेक्टेयर)	0.0850000
67	710	निजी	सिंचित	0.0667000(हेक्टेयर)	0.0667000
68	711	निजी	सिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
गांव का नाम: रौंथला					
1	120/1	निजी	सिंचित	0.0283000(हेक्टेयर)	0.0283000
2	120min	निजी	सिंचित	0.0875000(हेक्टेयर)	0.0875000
3	120min	निजी	सिंचित	0.0742000(हेक्टेयर)	0.0742000
4	174	निजी	सिंचित	0.0192000(हेक्टेयर)	0.0192000
5	175	निजी	सिंचित	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
6	230	निजी	सिंचित	0.0036000(हेक्टेयर)	0.0036000
7	230min	निजी	सिंचित	0.0761000(हेक्टेयर)	0.0761000
8	230min	निजी	सिंचित	0.1167000(हेक्टेयर)	0.1167000
9	230min	निजी	सिंचित	0.0617000(हेक्टेयर)	0.0617000
10	231min	निजी	सिंचित	0.0017000(हेक्टेयर)	0.0017000
11	232min	निजी	सिंचित	0.0011000(हेक्टेयर)	0.0011000
12	233	निजी	सिंचित	0.0164000(हेक्टेयर)	0.0164000
13	234	निजी	सिंचित	0.0272000(हेक्टेयर)	0.0272000
14	246min	निजी	सिंचित	0.0056000(हेक्टेयर)	0.0056000
15	247min	निजी	सिंचित	0.1064000(हेक्टेयर)	0.1064000
16	248	निजी	सिंचित	0.0086000(हेक्टेयर)	0.0086000
17	262	निजी	सिंचित	0.0350000(हेक्टेयर)	0.0350000
18	266min	निजी	सिंचित	0.0633000(हेक्टेयर)	0.0633000
19	267	निजी	सिंचित	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
20	268	निजी	सिंचित	0.1739000(हेक्टेयर)	0.1739000
21	270	निजी	सिंचित	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
22	273	निजी	सिंचित	0.0281000(हेक्टेयर)	0.0281000
23	274	निजी	सिंचित	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
24	275	निजी	सिंचित	0.1611000(हेक्टेयर)	0.1611000
25	282	निजी	नहर	0.0033000(हेक्टेयर)	0.0033000
26	283	निजी	सिंचित	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
27	284	निजी	सिंचित	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
28	285	निजी	सिंचित	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
गांव का नाम: जलवाह					
1	149	निजी	सिंचित	0.0944000(हेक्टेयर)	0.0944000
2	150	निजी	सिंचित	0.0233000(हेक्टेयर)	0.0233000
3	150min	निजी	सिंचित	0.1475000(हेक्टेयर)	0.1475000
4	150min	निजी	सिंचित	0.0775000(हेक्टेयर)	0.0775000
5	150min	निजी	सिंचित	0.0550000(हेक्टेयर)	0.0550000
6	150min	निजी	सिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
7	172	निजी	सिंचित	0.0225000(हेक्टेयर)	0.0225000
8	173	निजी	सिंचित	0.0208000(हेक्टेयर)	0.0208000
9	174	निजी	सिंचित	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
10	182	निजी	सिंचित	0.0083000(हेक्टेयर)	0.0083000
11	183	निजी	सिंचित	0.0028000(हेक्टेयर)	0.0028000
12	185	निजी	सिंचित	0.0758000(हेक्टेयर)	0.0758000
13	185min	निजी	सिंचित	0.1325000(हेक्टेयर)	0.1325000
14	186	निजी	सिंचित	0.0333000(हेक्टेयर)	0.0333000
15	186min	निजी	सिंचित	0.0083000(हेक्टेयर)	0.0083000
16	191	निजी	सिंचित	0.0133000(हेक्टेयर)	0.0133000
17	192	निजी	सिंचित	0.1050000(हेक्टेयर)	0.1050000
18	193	निजी	सिंचित	0.0131000(हेक्टेयर)	0.0131000
19	201	निजी	सिंचित	0.0125000(हेक्टेयर)	0.0125000
20	205	निजी	सिंचित	0.0675000(हेक्टेयर)	0.0675000
21	206	निजी	सिंचित	0.1800000(हेक्टेयर)	0.1800000
22	207	निजी	सिंचित	0.0911000(हेक्टेयर)	0.0911000
23	208/1	निजी	सिंचित	0.1294000(हेक्टेयर)	0.1294000
24	376/202	निजी	सिंचित	0.0139000(हेक्टेयर)	0.0139000
25	377/202	निजी	सिंचित	0.0358000(हेक्टेयर)	0.0358000
26	76	निजी	सिंचित	0.1375000(हेक्टेयर)	0.1375000
27	78	निजी	सिंचित	0.1375000(हेक्टेयर)	0.1375000
28	79	निजी	सिंचित	0.1150000(हेक्टेयर)	0.1150000
29	80	निजी	सिंचित	0.0825000(हेक्टेयर)	0.0825000
30	80min	निजी	सिंचित	0.0536000(हेक्टेयर)	0.0536000
31	81	निजी	सिंचित	0.0350000(हेक्टेयर)	0.0350000
32	81min	निजी	सिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
33	81min	निजी	सिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
34	81min	निजी	सिंचित	0.0439000(हेक्टेयर)	0.0439000
35	82	निजी	सिंचित	0.0425000(हेक्टेयर)	0.0425000
36	82min	निजी	सिंचित	0.0333000(हेक्टेयर)	0.0333000
37	82min	निजी	सिंचित	0.0333000(हेक्टेयर)	0.0333000
38	83	निजी	सिंचित	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
39	83min	निजी	सिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
40	83min	निजी	सिंचित	0.0675000(हेक्टेयर)	0.0675000
41	83min	निजी	सिंचित	0.0378000(हेक्टेयर)	0.0378000
42	91	निजी	असिंचित	0.0558000(हेक्टेयर)	0.0558000
43	92	निजी	सिंचित	0.0114000(हेक्टेयर)	0.0114000
44	93	निजी	सिंचित	0.0917000(हेक्टेयर)	0.0917000
45	93min	निजी	सिंचित	0.0936000(हेक्टेयर)	0.0936000
46	93min	निजी	सिंचित	0.2186000(हेक्टेयर)	0.2186000
47	94	निजी	सिंचित	0.0392000(हेक्टेयर)	0.0392000
48	94/1	निजी	सिंचित	0.1594000(हेक्टेयर)	0.1594000
49	94/1min	निजी	सिंचित	0.1111000(हेक्टेयर)	0.1111000
50	95	निजी	सिंचित	0.1042000(हेक्टेयर)	0.1042000
51	95min	निजी	सिंचित	0.0750000(हेक्टेयर)	0.0750000
52	95min	निजी	सिंचित	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
गांव का नाम: कनकोट					
1	267	सरकारी	चरनोई	0.4194000(हेक्टेयर)	0.4194000
2	269	निजी	असिंचित	0.0317000(हेक्टेयर)	0.0317000
3	270	निजी	नाला	0.0028000(हेक्टेयर)	0.0028000
4	272	सरकारी	नदी	0.0089000(हेक्टेयर)	0.0089000
5	273	सरकारी	असिंचित	0.0375000(हेक्टेयर)	0.0375000
6	274	सरकारी	असिंचित	0.0614000(हेक्टेयर)	0.0614000
7	281	सरकारी	सड़क	0.0731000(हेक्टेयर)	0.0731000
8	282	निजी	असिंचित	0.0325000(हेक्टेयर)	0.0325000
9	289	सरकारी	नदी	0.0864000(हेक्टेयर)	0.0864000
10	291	सरकारी	चरनोई	0.0650000(हेक्टेयर)	0.0650000
11	292	सरकारी	सड़क	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
गांव का नाम: नावना					
1	136	सरकारी	असिंचित	0.0925000(हेक्टेयर)	0.0925000
2	261	निजी	असिंचित	0.0131000(हेक्टेयर)	0.0131000
3	263	सरकारी	असिंचित	0.0433000(हेक्टेयर)	0.0433000
4	266	सरकारी(लाभार्थी)	असिंचित	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
5	274	सरकारी(लाभार्थी)	असिंचित	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
6	275	निजी	असिंचित	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
7	276	सरकारी	नाला	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
8	278	निजी	असिंचित	0.0275000(हेक्टेयर)	0.0275000
9	281	निजी	असिंचित	0.0225000(हेक्टेयर)	0.0225000
10	283	निजी	असिंचित	0.0125000(हेक्टेयर)	0.0125000
11	284	निजी	असिंचित	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
12	300	सरकारी	असिंचित	0.0675000(हेक्टेयर)	0.0675000
13	638/336	सरकारी	असिंचित	0.0550000(हेक्टेयर)	0.0550000
14	64	सरकारी	असिंचित	0.0725000(हेक्टेयर)	0.0725000
15	715/260	निजी	असिंचित	0.1075000(हेक्टेयर)	0.1075000
16	716/268	निजी	असिंचित	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
17	717/268	निजी	असिंचित	0.0475000(हेक्टेयर)	0.0475000
गांव का नाम: मेढी चौहाना					
1	501min	सरकारी	असिंचित	0.0325000(हेक्टेयर)	0.0325000
2	501min	सरकारी	असिंचित	0.1275000(हेक्टेयर)	0.1275000
3	507min	निजी	असिंचित	0.0175000(हेक्टेयर)	0.0175000
4	507min	निजी	असिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
5	507min	निजी	असिंचित	0.0142000(हेक्टेयर)	0.0142000
6	534	निजी	सड़क	0.0092000(हेक्टेयर)	0.0092000
7	536	निजी	असिंचित	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
8	543	सरकारी	नाला	0.0625000(हेक्टेयर)	0.0625000
9	622min	निजी	असिंचित	0.0450000(हेक्टेयर)	0.0450000
10	623min	सरकारी	असिंचित	0.0875000(हेक्टेयर)	0.0875000
11	624min	सरकारी	नाला	0.0450000(हेक्टेयर)	0.0450000
12	624min	सरकारी(लाभार्थी)	असिंचित	0.0775000(हेक्टेयर)	0.0775000
13	625min	निजी	असिंचित	0.0325000(हेक्टेयर)	0.0325000
				कुल	13.7673	13.7673

DIP/J-10982/22
Dt. 02-11-22

[सा. सं. 8/3A2]

राकेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2022

S. O. 3841(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2-Laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of the National Highway No.**144A** in the stretch of land from Km. **162+800** to **198+250** Km. **(Akhnoor to Poonch Road)** (Section-8) in the District- **Poonch** in the Union Territory of Jammu & Kashmir, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3 C of the said act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Deputy Commissioner Land Acquisition Poonch, Poonch District Poonch,** in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may

CONTINUED ON PAGE 5